श्रीधर सी0, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 01.07.2011 को जिला नजारत शाखा का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :–

01. प्रस्तावना :–

पश्चिम चम्पारण जिला का सृजन दिनांक 18.11.1972 को हुआ और तब से जिला नजारत शाखा कार्यरत है। जिला नजारत समाहरणालय भवन के निचले तल्ले पर पश्चिमी भाग में अवस्थित है।

02. प्रभार :–

श्री शैलेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, बेतिया दिनांक 18.11.2010 से इस शाखा के प्रभारी पदाधिकारी हैं। इसके पूर्व श्री अतुल कुमार वर्मा, वरीय उप समाहर्त्ता, बेतिया इस शाखा के प्रभारी पदाधिकारी थे।

दिनांक 24.02.2011 से श्री अरविन्द कुमार वर्मा, जिला नाजिर के प्रभार में हैं। इसके पूर्व श्री रोहीन कुमार श्रीवास्तव दिनांक 16.09.2009 से 24.02.2011 तक जिला नाजिर के प्रभार में थे। इसके अतिरिक्त श्री समीर कुमार वर्मा, सहायक नाजिर के पद पर कार्यरत थे। श्री वर्मा के स्थानांतरण के पश्चात् दिनांक 30.06.2011 से श्री रंजीत कुमार साहा, सहायक नाजिर के पद पर कार्यरत हैं।

इस शाखा में प्रक्रिया पालक का पद सृजित नहीं है। अतः अनुमण्डलीय नजारत, बेतिया सदर से निम्नांकित तीन प्रक्रियापालकों की प्रतिनियुक्ति इस शाखा में की गई है।

1. श्री काशीनाथ प्रसाद
2. श्री रामेश्वर प्रसाद
3. श्री सुरेन्द्र पाण्डेय

उक्त प्रक्रियापालक जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं। इनका मूल दायित्व समाहरणालय स्तर पर आदेशिकाओं का तामिला कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला नजारत शाखा में दो अनुसेवक पदस्थापित हैं, जिनका नाम निम्नवत् है।

1. श्री मोतीलाल भगत
2. श्री रामाशंकर प्रसाद

इसके अतिरिक्त रात्रि प्रहरी के लिए निम्नांकित दो अनुसेवक प्रतिनियुक्त हैं।

1. श्री हरेन्द्र मांझी
2. श्री दिपेन्द्र मिश्र

03. पूर्व निरीक्षण :–

क्र.	निरीक्षी पदा का नाम	निरीक्षण की तिथि	अनुपालन प्रतिवेदन की तिथि
1.	डॉ0 बी0 राजेन्दर, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	15.11.2010	पत्रांक 125, दि0 04.06. 2011

04. परिसदन :–

श्री रंजीत कुमार साहा, सहायक नाजिर जो परिसदन के प्रभारी नाजिर हैं। वर्तमान में परिसदन हेतु निम्नांकित कर्मचारी के पद की स्वीकृति सरकार से प्राप्त है तथा निम्नांकित कर्मचारी कार्यरत है :–

1. खानसामा :– श्री अमर प्रसाद
2. माली :– रिक्त
3. चौकीदार :– श्री अशोक राउत
4. झाड़ूकश :– श्री हीरालाल राउत, (वर्तमान में समाहरणालय के साफ सफाई का कार्य करते है।)

इसके अतिरिक्त परिसदन में कार्यों की अधिकता को देखते हुए निम्नांकित कार्य हेतु मजदूरी पर रखा गया है :–

1. जेनरेटर चालक
2. सहायक खानसामा
3. झाड़ूकश

05. नोटिस पंजी :–

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। इसमें सभी प्रकार के आदेशिकाओं (नोटिस) की प्रविष्टियां की गई हैं। पंजी के अनुसार विगत दो वर्षों एवं चालू वर्ष में नोटिस के तामिला की स्थिति निम्नवत् है :–

वर्ष	प्राप्त नोटिस	पूर्ण रूपेण तामिला	अपूर्ण तामिला	वापसी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	–
2009–10	2174	1952	69	153	–
2010–11	2821	2569	87	165	–
2011–12 (दि0 29.06.11)	610	328	24	73	185 तामिला अप्राप्त

वर्ष 2011–12 में 185 तामिला अप्राप्त होने की सूचना प्रतिवेदित किया गया है। प्रक्रिया पालकवार तामिला हेतु लंबित मामलों की विवरणी तैयार कर, अनुश्रवण कर शत–प्रतिशत तामिला सुनिश्चित करें। कुल तीन प्रक्रियापालक पदस्थापित हैं। तीनों का कार्यक्षेत्र निर्धारित है। प्रक्रिया पालकवार लंबित नोटिस एवं तामिला नोटिस का वर्गीकरण कर लंबित नोटिस के तामिला हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें।

06. भण्डार पंजी :–

6.1 जिला नजारत शाखा में दो भण्डार पंजी स्थाई एवं अस्थाई हस्तलिखित प्रपत्र में संधारित है, जिसमें क्रय की गई सामग्रियों की प्रविष्टि की जाती है। पूर्व के निरीक्षण में तत्कालिन जिला पदाधिकारी द्वारा भंडारपंजी में ही सामान की पावती प्राप्त करने का निदेश दिया गया था। निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि विभिन्न शाखाओं के द्वारा दी गयी अधियाचना को नजारत के द्वारा क्रय कर क्रयोपरान्त संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाता है। क्रय भंडारपंजी संबंधित शाखा के द्वारा संधारित किया जाता है। चूंकि सभी प्रकार के क्रय जिला नजारत शाखा के द्वारा किया जाता है। अतः मूल रुप से क्रयोपरान्त संबंधित शाखा को हस्तानान्तरण से पूर्व जिला नजारत शाखा के भंडार पंजी में संधारित करना सुनिश्चित करें।

6.2 भंडारपंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ एक ही पन्ने पर किया जा रहा है जिसे पावती कराने के लिए पंजी में जगह नहीं रह जाता है। अतः निदेश दिया गया कि आज दिनांक 01.07.2011 से भंडारपंजी के दो पन्ने में एक हीं तिथि की प्रविष्टि से संबंधित विवरणी प्रविष्ट करें। बांयी ओर के पन्ने पर क्रय की प्रविष्टि तथा दाएँ ओर के पन्ने पर निर्गत करने की प्रविष्टि/पावती दर्ज करना सुनिश्चित करें।

6.3 अस्थायी भंडारपंजी में अंतिम प्रविष्टि दिनांक 25.06.2011 तक पाया गया। नजारत के द्वारा संधारित स्थायी एवं अस्थायी भंडारपंजी के संधारण तत्परता से नहीं किया जा रहा है। अप्रसंता प्रकट की गयी। साथ हीं स्पष्ट है कि भंडारपंजी का सत्यापन कभी नहीं किया गया है। जिला नजारत उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि जिन शाखाओं के लिए खरीदगी नजारत शाखा से की जाती है उनके पास प्राप्त स्थायी सम्पत्ति विहित प्रपत्र में प्राप्त कर संधारित करें साथ हीं भंडारपंजी का दण्डाधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सत्यापन कराना-सुनिश्चित कर एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।

07. ग्राम मानचित्रों की भण्डार पंजी :—

ग्राम मानचित्र हेतु थानावार पंजी संधारित है। थाना बेतिया का भंडारपजी में अंतिम प्रविष्टि 12.09.2009 को की गयी है। उसी प्रकार थाना नरकटियागंज का अंतिम प्रविष्टि 13.06.2009 तक एवं बगहा थाना का दिनांक 06.07.2009 तक प्रविष्टि की गयी है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्ष 2009 के बाद थानावार संधारित पंजी में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जो मानचित्र के लिए आवेदन प्राप्त होता है, परन्तु भंडार में उपलब्ध नहीं है, उनके आवेदन पत्र पत्र अनुपलब्ध रहने की बात अंकित की जाती है। इससे स्पष्ट है कि जो मानचित्र भंडार में अनुपलब्ध है, उसको प्राप्त करने की कार्रवाई जिला स्तर से नहीं की जा रही है। जिला नजारत उप समाहर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर भंडार का अद्यतन स्थिति तैयार करा कर जिला में अनुपलब्ध मानचित्र को प्राप्त करने हेतु संबंधित से पत्राचार कर भंडार में मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

08. नाजिर रसीद बही भण्डार पंजी :—

वर्ष 2011—12 हेतु नाजिर रसीद संख्या 868851 से 888900 प्रतिवेदित है। स्पष्ट है कि केवल 49 रसीद मात्र उपलब्ध है। आवश्यकता के अनुसार कोषागार से नाजीर रसीद प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

09. वाहनों का रख—रखाव :—

जिला नजारत में निम्नांकित वाहनों का रख रखाव संधारण किया गया है :—

क्र०	वाहन संख्या	किनके यहाँ वाहन है	हिस्ट्रीबुक		विगत वर्ष में मरम्मति/रख रखाव में की गयी व्यय
			उपलब्ध	अनुपलब्ध	
01.	बी0आर0 22 बी0 0009	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण आवास	उपलब्ध		
02.	बी0आर0 22 बी0 65	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण आवास		अनुपलब्ध	19,496.00
03.	बी0आर0 22पी0 0004	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण आवास			ईख विकास का वाहन
04.	बी0आर0 22डी0 0001	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण आवास	उपलब्ध		4,790
05.	बी0आर0 22डी0 0009	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण आवास	उपलब्ध		31,930

06.	बी0आर0 22डी0 0066	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण आवास	उपलब्ध		
07.	बी0आर0 22पी0 801	अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण	उपलब्ध		34,245.00
08.	एम0आर0बी0 406	जिला नजारत उप समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया		अनुपलब्ध	6,529.00

9.1 पूर्व जिला पदाधिकारी के निरीक्षण के दौरान जिलान्तर्गत अंचल एवं प्रखण्ड के पुरानी अनुपयुक्त वाहनों को रद्दीकरण का निदेश दिया गया था। इस संबंध में नजारत उप समाहर्त्ता के द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन प्रतिवेदन पत्रांक 125 दिनांक 04.06.2011 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है पुराने 14 वाहनों में से 12 वाहनों का आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा रद्दीकरण करने का आदेश दिया जा चुका है। अतः रद्दीकरण से संबंधित सभी वाहनों का लैबलिटी सहित निलाम करने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से अखबारों में प्रकाशित कर रद्दीकरण की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

9.2 अपर समाहर्त्ता का वाहन संख्या–बी.आर.–22पी–801 के इतिहास पंजी का अवलोकन किया। यह वाहन दिनांक 26.02.2008 को क्रय किया गया है और इससे संबंधित रख–रखाव पंजी अलग से संधारित किया गया है। रख–रखाव पंजी दिनांक 24.04.2008 से संधारित है। गाड़ी के रख–रखाव पर की जा रही व्यय लगातार संधारित है। इस प्रकार निदेश दिया जाता है कि रख–रखाव पंजी का संधारण/प्रविष्टि वित्तीय वर्षवार करें। वर्ष समाप्ति के पश्चात् उस वाहन पर कुल व्यय निकाल कर प्रविष्टि करें। पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि **वर्ष 2009–10 में 31926 रुपया व्यय हुआ।**

9.3 जिला गोपनीय शाखा में संधारित वाहन संख्या बी.आर.–22डी–0009 का लॉगबुक संधारित है। यह वाहन समाहर्त्ता का है और इसके लॉगबुक के प्रविष्टियों का सत्यापन समाहर्त्ता के निजी सहायक के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि समाहर्त्ता आवास पर संधारित सभी वाहनों का सत्यापन प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा के द्वारा किया जाएगा। लॉगबुक के अवलोकन से स्पष्ट है कि लॉगबुक पर वाहन चालक का हस्ताक्षर नहीं है तथा जिस पेट्रोल पम्प द्वारा ईंधन निर्गत किया गया है उस पर पेट्रोल पम्प का मुहर लगा हुआ नहीं है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा/जिला नजारत उपसमाहर्त्ता लॉग बुक पर चालक का हस्ताक्षर एवं पेट्रोल पम्प का मुहर निश्चित रुप से अंकित करायेंगे। नियमित रुप से सभी वाहनों का रख–रखाव से संबंधित विवरणी संधारित करना सुनिश्चित करें।

9.4 पूर्व जिला पदाधिकारी के द्वारा किए गए निरीक्षण में वाहनों के रख–रखाव एवं ईंधन मद में विगत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय किया गया है, संचिका के माध्यम से उपस्थापित करने का निदेश दिया गया था, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया। एक सप्ताह के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करें।

9.5 वित्त विभाग के द्वारा वाहनों के इतिहास पंजी तथा रख–रखाव के संबंध में निर्गत किया गया अद्यतन परिपत्र जिला नजारत शाखा के गार्ड फाईल में अनुपलब्ध है। उक्त परिपत्र को प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

10. रक्षी संचिका :–

नजारत में संधारित विभिन्न रक्षी संचिका का अवलोकन किया। रक्षी संचिका में अद्यतन सर्कुलर संधारित नहीं है। रक्षी संचिका के भौतिक स्थिति खराब है। नये सिरे से संधारित करने हेतु नजारत उप समाहर्त्ता कार्रवाई सुनिश्चित करें।

11. चेकबुक पंजी :–

चेकबुक पंजी संधारित है। नाजीर द्वारा बताया गया कि चेकबुक में अद्यतन प्रविष्टियाँ की गयी है।

12. रोकड़ पंजी :–

इस शाखा में रोकड़ पंजी संधारण हेतु एक सामान्य पंजी एवं सभी शीर्ष के लिए सहायक रोकड़ पंजी संधारित है। सामान्य रोकड़ बही का अवलोकन किया दिनांक 29.06.11 तक अद्यतन है। सामान्य रोकड़ पंजी के अनुसार दिनांक 29.06.2011 को अन्त शेष 2,16,27,539.06 रूपये है। रोकड़ विवरणी निम्न प्रकार है :–

1. अभिश्रव	:–	65,42,549.55
2. अग्रिम	:–	23,59,244.50
3. भारतीय स्टेट बैंक, बेतिया खाता संख्या 11115899416	:–	29,05,845.71
4. भारतीय स्टेट बैंक, बेतिया खाता संख्या 11115899642	:–	77,68,145.46
5. भारतीय स्टेट बैंक, बेतिया खाता संख्या 11115899788	:–	19,82,458.45
6. एक ताले	:–	69,295.39
(पत्राचार एवं अपूर्ण अभिश्रव 44,296.00 एवं शेष नगद 24,999.39 कुल 69,295.39		
कुल योग	:–	**2,16,27,539.06**

अग्रिम के रूप में 23,59,244.50 रूपये की राशि समायोजन हेतु लंबित है। इसके समायोजन हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

12.1 **अभिश्रव :–** अभिश्रव के रूप में अग्रिम मो0 65,42,549.55 रूपये की राशि समायोजन हेतु लंबित है। सरकार के द्वारा **असमायोजित अभिश्रवों का समायोजन हेतु अलग से आवंटन उपलब्ध कराने हेतु शीर्षवार/वर्षवार अभिश्रवों को छांट कर जिला स्तर से गठित तीन सदस्यीय दल से जाँच कराकर आवंटन की मांग करने का निदेश प्राप्त है।** निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि पश्चिम चम्पारण जिला के नजारत में उपरोक्त आदेश के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अतः विगत वर्षो के लंबित अभिश्रवों के समायोजन हेतु आवंटन की मांग करने हेतु निम्नांकित रुप से तीन सदस्यीय दल गठित करते हुए वर्षवार/विषयवार एवं शीर्षवार अभिश्रवों का वर्गीकरण कर आवंटन की मांग सरकार से करने का निदेश दिया गया :–

1. श्री शैलेश कुमार, जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बेतिया।
2. श्री विनोद प्रसाद सिंह, प्रभारी जिला लेखा पदाधिकारी।
3. श्री शंकर मिश्रा, सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, बेतिया।

उपरोक्त के आलोक में एक महीने के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करें। अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण उपरोक्त कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।

12.2 अग्रिम पंजी :–

(क) पूर्व जिला पदाधिकारी के निरीक्षण में अग्रिम राशि के समायोजन का निदेश दिया गया था परन्तु पूर्ण अनुपालन आज तक नहीं किया गया है। विगत निरीक्षण के बाद आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा 8,20,59,632.50 (आठ करोड़, बीस लाख, उनसठ

हजार, छह सौ, बत्तीस रू0, पचास पैसा) रुपया समायोजन हेतु उपलब्ध कराया गय। नजारत उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि उक्त राशि का समायोजन पूर्ण किया जा चुका है।

(ख) समायोजन हेतु लंबित अग्रिम के कम्प्यूटरीकरण करने का दायित्व श्री सचिन गुप्ता, आई.टी. मैनेजर, बेतिया को दिया गया। समायोजन हेतु लंबित अग्रिम का तिथिवार कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त एक कर्मी के नाम के विरुद्ध असमायोजित अग्रिम की राशि की गणना कर प्रत्येक कर्मी को एक माह के अंदर दी गयी अग्रिम का समायोजन करने हेतु पत्र जिला पदाधिकारी के स्तर से मेलमर्ज प्रावधान का प्रयोग कर करना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त कर्मचारीवार कैम्प आयोजित कर समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत समायोजन हेतु प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मी के वेतन से वसूल कर समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर विगत दस वर्षों का कम्प्यूटरीकरण/वसूली सुनिश्चित करें।

12.3 भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या–11115899788 जिला नजारत उप समाहर्त्ता के नाम से संधारित है। पूर्व जिला पदाधिकारी के निरीक्षण में इस संबंध में दिए गए निदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नजारत में जिला नजारत उपसमाहर्त्ता के नाम पर राशि रखा जा रहा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इस खाता को बन्द कर उसमें संधारित राशि जिला पदाधिकारी के नाम से संधारित खाता के जेनरल खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

12.4 शीर्षवार विभिन्न मदों के अवशेष राशि की विवरणी निम्नवत है :–

शीर्ष 2053 जिला प्रशासन

01.	कार्यालय व्यय	:–	1184915.29
02.	ईंधन एवं रख रखाव	:–	1911945.19
03.	मजदूरी	:–	1421571.32
04.	विद्युत	:–	265754.91
05.	अतिथि व्यय	:–	3421.00
06.	वर्दी	:–	19851.60
07.	सामग्री आपूर्ति	:–	2975.00
08.	20–सूत्री कार्यक्रम	:–	88585.55

शीर्ष 2029 भू–राजस्व

01.	कार्यालय व्यय	:–	92875.60
02.	ईंधन एवं रख–रखाव	:–	53146.30

3456 आपूर्ति

01.	कार्यालय व्यय	:–	177251.14

शीर्ष 2041 टैक्सेज

01.	2041 टैक्सेज	:–	52293.17

शीर्ष 2245 सहाय्य

01.	कार्यालय व्यय	:–	442168.88

शीर्ष 2070 परिसदन

01.	सामग्री आपूर्ति	:–	140558.10
02.	विद्युत	:–	47437.89

03.	दूरभाष	:–	72945.00

शीर्ष 2052 टेली प्रिंटर

01.	2052 टेली प्रिंटर	:–	57612.38

शीर्ष 2065 गणतंत्र दिवस

01.	2065 गणतंत्र दिवस	:–	3141.75

शीर्ष 2014 न्याय

01.	कार्यालय व्यय	:–	472465.87

पत्राचार के अन्तर्गत

01.	विविध व्यय	:–	30,100.61

शीर्ष 3454 जनगणना

01.	कार्यालय व्यय	:–	1533.00
	कुल योग :–		6542549.55

12.5 सहायक रोकड़ पंजी का अंत शेष विवरणी :– (दिनांक 29.06.2011)

01.	शीर्ष 2053 जिला प्रशासन	:–	1681280.23
02.	शीर्ष 2029 भू–राजस्व	:–	16,78,496.00
03.	शीर्ष 3456 आपूर्ति	:–	26,72,559.77
04.	शीर्ष 2015 निर्वाचन	:–	65,57,767.77
05.	2015 निर्वाचन निकाय	:–	2,57,985.24
06.	शीर्ष 2515 पंचायत	:–	1,42,706.75
07.	इण्डोनेपाल	:–	6,01,567.53
08.	सूद की राशि	:–	30,08,502.45
09.	शीर्ष नेत्र ज्योति	:–	74,370.15
10.	शीर्ष 2070 परिसदन	:–	11729.26
11.	शीर्ष 2014 न्याय	:–	22,995.75
12.	शीर्ष लेखन सामग्री	:–	3,840.00
13.	शीर्ष स्थाई अग्रिम	:–	500.00
14.	शीर्ष 2245 सहाय्य	:–	17,10,849.71
15.	शीर्ष पषुधन जनगणना	:–	6,17,745.00
16.	शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा	:–	5,52,378.00
17.	शीर्ष 2205 कला संस्कृति	:–	5,82,979.00
18.	शीर्ष 2204 खेल कूद	:–	5,34,170.00
19.	शीर्ष राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा	:–	1,00,000.00
20.	शीर्ष 2014 न्याय पुलिस	:–	44,086.45
21.	2055 पुलिस	:–	4,54,456.00
22.	शीर्ष 2029 भू0रा0कम्प्यूटर	:–	16,371.00
23.	शीर्ष विश्वान	:–	1,00,000.00
24.	आई0टी0पदाधिकारी	:–	65,806.00
25.	शीर्ष बिहार राज्य खेल प्राधिकार	:–	88,510.00
26.	शीर्ष सूचना अधिकार	:–	12,560.00
27	लोक सूचना अधिकार	:–	33327.00
	कुल योग		21627539.06

12.6 शीर्ष 2515–पंचायत में 1,42,706.75 रुपये दर्शाया गया है, चेक के माध्यम से एक स५ के अंदर जिला पंचायत कार्यालय को राशि उपलब्ध करा दें।

12.7 शीर्ष 2015–निर्वाचन में 65,57,767.77 रुपये दर्शाया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.02.1996 को जिला निर्वाचन कार्यालय के नजारत का सृजन हुआ तथा उस समय 83,94,195.52 रुपये जिला नजारत से जिला निर्वाचन शाखा को हस्तांतरित हुआ। जिला नजारत उप समाहर्त्ता एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी संयुक्त रुप से सब्सीडियरी पंजी का अध्ययन कर 48 घंटे के अंदर सुस्पष्ट प्रतिवेदन देंगे।

12.8 शीर्ष विस्वान में 1.00 लाख रुपया दर्शाया गया है। यह आवंटन किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ है, स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में एक सप्ताह के अंदर संचिका उपस्थापित करें।

12.9 शीर्ष नेत्र ज्योति में 74,370.15 रू0, शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा में 5,52,378.00 रुपया दर्शाया गया है जिसे संबंधित शीर्ष में/चेक के माध्यम से एक पक्ष के अंदर जमा कर दें।

12.10 सूद मद में 30,08,502.45 रुपया दर्शाया गया है। सरकार के निदेश के आलोक में सूद के लिए अलग से खाता एवं रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया जाना है। सूद की राशि को विषयवार/शीर्षवार वर्गीकरण कर संबंधित शीर्ष में जमा करा दें।

12.11 शीर्ष पशुधन जनगणना के अवशेष राशि के संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी और प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा से मानदेय भुगतान हेतु आकलन कर यदि आवश्यकता है तो भगतान करें अन्यथा राशि वापस करना सुनिश्चित करें। शीर्ष–2204 खेलकूद एवं शीर्ष 2205 कला संस्कृति में पड़ी राशि समायोजन योग्य है, समायोजन करें।

12.12 शीर्ष राजीव गांधी अक्ष्य उर्जा में 1.00 लाख रुपया अवशेष है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा एवं उप विकास आयुक्त राशि की व्यय के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त वर्ष में भुगतेय दावा नहीं है तो राशि वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

12.13 शीर्ष–2055 पुलिस मद में दोनों पुलिस अधीक्षक से संबंधित वित्तीय वर्ष से राशि उपलब्ध है, को वित्तीय वर्ष से संबंधित आवंटन की आवश्यकता की मांग कर राशि का उपयोग सुनिश्चित करें। यदि आवंटन की आवश्यकता नहीं है तो राशि जमा करें।

12.14 जो राशि कतिपय वर्षो से जिला नजारत में पड़ा हुआ है उसके संबंध में निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं।

1. जिस वर्ष के लिए आवंटन प्राप्त है उस वर्ष अंतर्गत उस मद में समायोजित होने हेतु लंबित अभिश्रव है तो उसकी तीन सदस्यीय समिति से जांचोपरान्त सत्यापन कर समायोजन सुनिश्चित करेंगे।

2. अवशेष राशि की योजना यदि वर्त्तमान में बन्द है तो राशि निम्नांकित रुप से वापस करें :–

(क) यदि किसी प्राधिकार के द्वारा चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से राशि दिया गया है तो संबंधित पदाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से राशि वापस करें और प्राधिकार को सूचना दें।

(ख) यदि आवंटन प्राप्त हुआ है और कोषागार से निकासी की गयी है तो संबंधित शीर्ष में जमा कर संबंधित विभाग को सूचित करें।

उपरोक्त सारे आदेश का अनुपालन दिनांक 30.07.2011 तक सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. अंकेक्षण :–

जिला नजारत शाखा का अंकेक्षण वर्ष 2009–10 तक महालेखाकार, पटना अंकेक्षण दल द्वारा किया गया है। अंकेक्षण दल द्वारा उठाये गये प्रश्नों के अनुपालन की स्थिति क्या है, स्पष्ट प्रतिवेदन दें।

14. आवंटन :–

वर्ष 2011–12 में प्राप्त आवंटन शीर्षवार निम्न प्रकार है :–

शीर्ष 2029 भू0राजस्व

1. कार्यालय व्यय	:–	206000.00
2. वाहन का ईंधन एवं रखाव	:–	1092000.00
3. दूरभाष	:–	100000.00
4. विद्युत	:–	60000.00
5. वर्दी/पोशाक	:–	20500.00

शीर्ष 3456 आपूर्ति

1. कार्यालय व्यय	:–	20000.00
2. वर्दी भत्ता	:–	2500.00
3. विद्युत	:–	6000.00
4. प्रकाशन एवं मुद्रण कार्य	:–	60000.00

शीर्ष 2245 आपदा

1. कार्यालय व्यय	:–	10,000.00
2. वर्दी भत्ता	:–	2000.00
3. व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऍ	:–	10,000.00

शीर्ष 2055 पुलिस

1. गुप्त सेवा व्यय	:–	153000.00

शीर्ष–2055 पुलिस के गुप्त सेवा व्यय में 1,53,000.00 रुपया दर्शाया गया है। तदोपरान्त उपलब्ध आवंटन की समीक्षा की गयी। फीड करेंसी का पहचान करने वाला मशीन, विधि–व्यवस्था संधारण के अवसर पर प्रयोग आने वाला विडियो कैमरा एवं आवश्यकतानुसार डिजीटल कैमरा का क्रय सुनिश्चित करें।

शीर्ष 2053 जिला प्रशासन

1. कार्यालय व्यय	:–	9,50,000.00
2. वाहन का रख रखाव	:–	15,00,000.00

3. दूरभाष	:—	1,00,000.00
4. विद्युत प्रभार	:—	2,00,000,.00
5. वर्दी/पोशाक	:—	17,000.00
6. किराया महसुल एवं कर	:—	15,000.00
7. अतिथि व्यय	:—	50,000.00
8. कन्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार	:—	25,000.00
9. सामग्रियॉ एवं पूर्ति	:—	25,000.00
10. व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें	:—	1,00,000.00

शीर्ष 2053 जिला प्रशासन में कान्फ्रेंस/कार्यशाला/सेमिनार मद में 25 हजार रुपया राशि दर्शाया गया है। **कार्यशाला आयोजित करने हेतु एक सप्ताह के अन्दर जिला नजारत उप समाहर्त्ता संचिका उपस्थापित करेंगे।**

जिला नजारत उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि समाहरणालय स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं जिला गोपनीय शाखा में **EPBAX मशीन क्रय कर 15 दिनों के अन्दर स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।**

शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं
(अतिथि गृह के लिए)

1. कार्यालय व्यय	:—	20,000.00
2. दूरभाष	:—	1,00,000.00
3. विद्युत प्रभार	:—	30,000,.00
4. वर्दी/पोशाक	:—	5,000.00
5. व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें के लिए अदायगियॉ	:—	50,000.00
6. किराया महसुल एवं कर	:—	5,000.00
7. सामग्रियॉ एवं पूर्ति	:—	8,00,000.00

उपलब्ध आवंटन का नियमानुसार व्यय करते हुए व्यय प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

15 निष्कर्ष :—

कतिपय बिन्दुओं पर विगत निरीक्षण का अनुपालन संतोषप्रद नहीं पाया गया। जिला नजारत में कतिपय सहायक रोकड़ पंजी अनावश्यक रुप से संधारित की जा रही है। विशेष रुप से पंचायत निर्वाचन एवं जिला निर्वाचन शाखा का अलग नजारत सृजित होने के बावजूद उससे संबंधित राशि जिला नजारत में अवशेष है। जिला विकास शाखा का भी नजारत अलग से सृजित है, इसके बावजूद अक्ष्य उर्जा, नेत्र ज्योति इत्यादि से संबंधित राशि जिला नजारत में संधारित है। काफी बड़ी मात्रा में राशि अग्रिम एवं अभिश्रवों के रुप में अवशेष है। जिला नजारत के कर्मियों को विशेष मेहनत कर दिए गए निदेशों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

निरीक्षण के क्रम में दिए गए निदेशों के अनुपालन जिला नजारत उप समाहर्त्ता सुनिश्चित करेंगे। अपर समाहर्त्ता अनुपालन का साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। निदेशों का अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 08.08.2011 को 11.00 बजे पुनः जिला नजारत शाखा का निरीक्षण किया जाएगा। अनुपालन संतोषप्रद नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(श्रीधर सी०)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ....213.......... / गो0, दिनांक ....07 / 07 / 2011

प्रतिलिपिः— जिला नजीर एवं सहायक नाजीर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला नजारत उप समाहत्ता, बेतिया / प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा / जिला गोपनीय शाखा, बेतिया / जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेतिया / उप निर्वाचन पदाधिकारी, बेतिया / जिला कल्याण पदाधिकारी / जिला योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, बेतिया / उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक ....213.......... / गो0, दिनांक ....07 / 07 / 2011

प्रतिलिपिः— आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।